पु.स.48/2023
हमाराम बनाम बेनाराम
धारा 212 आर.टी.एक्ट

12.08.024

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकील उप.। अप्रार्थी संख्या 1,3,5,6,7, व 9 ता 19 को रूक –रूक कर बार–बार आवाज लगाई की सूचना तामिल के बावजूद अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ,4 व 8 जवाब पेश नही करना चाहते है अत: इनका जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया वादग्रस्त आराजी मौजा सीलू पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खाता संख्या 83 के खेत खसरा नम्बर 50,620,76,78 जुमले रकबा 1.32 हैक्टयर तथा खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 11,12,249,250 जुमले रकबा 0.26 हैक्टयर व खाता संख्या 188 के खसरा नम्बर 36,37,40,41 जुमले रकबा 1.32 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का खाता संख्या 83 संम्पर्ण इसी प्रकार खाता संख्या 82 में 1/4 हिस्सा, व खाता संख्या 188 में 1/16 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का दर्ज सुदा आया हुआ है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ता 7 की पुश्तैनी एवं अप्रार्थी संख्या 8 ता 15 की के संयुक्त खातेदारी की आराजी आई हुई है। जिसमें मुझ प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त अनुसार खातेदारी का दर्जसुदा आया हुआ है। जो पुश्तैनी भूमि होने से प्रार्थी का नौशनल शैयर पैदा होने से प्रार्थी के पिता के पैतृक हिस्से में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। उक्त सम्पति पैतृक है जो हिन्दू उतराधिकार निमय के तहत पैतृक भूमि पर प्रार्थी का जन्म सिद्व से ही अधिकार है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 बैचान करने पर तुले हुए है तथा प्रार्थी को अपने पुश्तैनी हक से वंचित करना चाहते है। अप्रार्थी को पुश्तैनी पारिवारीक आराजी बैचान करने का कोई अधिकार नही हैं क्योंकि पुश्तैनी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 केवल उपयोग व उपभोग कर सकता है लेकिन रदोवदल नही कर सकता है। आज से चार रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने मेरे बंट की भूमि में मौके पर आकर प्रार्थी को अपने काब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की मौखिक एलानिया धमकी दी एवं उपरोक्त आराजी में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा किसी तीसरे पक्षकारान को बैचान अथवा दान–पत्र करने की एलानिया धमकी दी। उक्त खातेदारी पुश्तैनी आराजी अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता यानी प्रार्थी के दादा तेजा से विरासत में प्राप्त हुई है तथा मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का अपने संभावित हिस्से व बंट की आराजी पर संयुक्त कब्जा काश्त शांति पूर्वक बैरोकरोक आया हुआ है। वादग्रस्त [illegible] का अपने पिता अप्रार्थीगण संख्या 1 के हिस्से में से नोशनल शेयर [illegible] से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में [illegible] सुविधा [illegible] संतुलन का प्रश्न पैदा हुआ है आपसी सहमति से भाईयो बंटवाड़ा संवत [illegible]60 के अनुसार प्रार्थी का हिस्सा अलग कर बंटवाड़े की तारीख से शांतिपूर्वक बैरोकटोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:18:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

लगातार कब्जा काश्त प्रार्थीगण का आया होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। जहां अपूरणीय क्षति का प्रश्न पैदा होता है प्रार्थी का लगातार शांति पूर्वक बैरोकटोक प्रार्थी के हिस्से की आराजी में आया होने से यदि प्रार्थी को प्रार्थी की भूमि हिस्से व कब्जे काश्त से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो अपूरणीय क्षति होगी। जिसका रूपयों पैसो में आकलन नही किय जा सकता है। अतः वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक बनाये रखें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष की प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के ताफैसला तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सीलू पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खाता संख्या 83 के खेत खसरा नम्बर 50,620,76,78 जुमले रकबा 1.32 हैक्टयर तथा खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 11,12,249,250 जुमले रकबा 0.26 हैक्टयर व खाता संख्या 188 के खसरा नम्बर 36,37,40,41 जुमले रकबा 1.32 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल के साथ हो व नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:18:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner